न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प, भोपाल (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक /१७

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1761

१- मेहबूब खाँ आ० मुख्तार खाँ,

२- मगफूल खाँ आ० श्री मुख्तार खाँ

निवासीगण ग्राम देवली तहसील कुरवाई

जिला विदिशा - - - - - - - - - - निगरानीकर्त्तागण

विरुद्ध

अयूब खाँ आ० श्री मुख्तार खाँ निवासी ग्राम

देवली तहसील कुरवाई जिला विदिशा ---- प्रतिनिगरानीकर्त्ता

म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा ५० के अन्तर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्त्ता द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बासौदा जिला विदिशा के प्र० क्रं- २५/अपील/१६-१७ में पारित आदेश दिनांक २४-५-१७ से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

---०००---

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्त्तागण एवं प्रतिनिगरानीकर्त्ता के पिता श्री मुख्त्यार खाँ के नाम ग्राम गोहची की खसरा क्रमांक ४८ रकबा ६-०१० हेक्टर एवं खसरा क्रमांक ४६ रकबा २-८७४ हेक्टर कुल रकबा ८-८८४ हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी इस भूमि खसरा क्रमांक ४८ रकबा ६-०१० हेक्टर में से ३-६१० हेक्टर एवं खसरा क्रमांक ४६ रकबा २-८६४ हेक्टर कुल रकबा ६-८७४ हेक्टर भूमि का दिनांक २५-७-०८ को मौखिक (हिबा नामा) दिया गया तथा दिनांक २५-११-०८ को हिबाकर्त्ता की मृत्यु हो गई, हिबानामे के आधार पर तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन पेश किया गया जो कि प्रकरण क्रमांक-७८।अ-६। ६-१० पर दर्ज करते हुए तहसील न्यायालय ने दिनांक - ३१-८-१६ को नामांतरण स्वीकृत किया गया। इस आदेश की अपील प्रतिनिगरानीकर्त्ता द्वारा समयसीमा बाह्य पेश की गई जो स्वीकार की गई।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध यह --२

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1761

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 25/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार बासौदा के प्रकरण क्रमांक 79/अ-6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के समक्ष दिनांक 24.11.2016 को अपील पेश की गई एवं साथ ही धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2017 द्वारा धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विधि का यह सिद्धांत है कि समय-सीमा के बिन्दु पर दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना होगा, जबकि अनावेदक ने ऐसा कोई कारण आवेदन में पेश नहीं किया इसके बाद भी अधीनस्थ न्ययालय द्वारा1 धारा-5 का आवेदन स्वीकार करने में गम्भीर भूल की है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया और नियम के विपरीत होने से माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर निरस्त किए जाने योग्य है। 4/ अनावेदक एकपक्षीय हैं। 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक के तर्कों से सहमत होते हुए विलंब को क्षमा कर अपील समयावधि में मान्य की गई है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलबध है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	